147 नवरत्न और मिनीरत्न उद्यमों के कार्या निष्पादन की समीक्षा –उन्हें हैसियत प्रदान करने/वापिस लेने के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के तारीख 13 जून, 2001 के का.ज्ञा.सं. लो.उ.वि.–4(8)/2000–वित्त का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें नवरत्न और मिनी रत्न उद्यमों के कार्य निष्पादन और हैसियत की समय–समय पर समीक्षा किए जाने संबंधी सरकारी निर्णय को सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया था।

2. उसमें यह उल्लेख भी किया गया था कि शीर्ष समिति इस समीक्षा के प्रारूप का निर्धारण करेगी। इसलिए नवरत्न/मिनी रत्न लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए प्रारूप तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति संलग्न की गई है (अनुबंध–I) अनुबंध–II और III में लोक उद्यमों को नवरत्न हैसियत प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और दिशानिर्देश दिए गये हैं।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले नवरत्न/मिनीरत्न लोक उद्यमों को अनुबंध –1 में दिये प्रारूप को पूरा करने की और उसे प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से 15 अप्रैल 2002 तक लोक उद्यम विभाग को भेजने की सलाह दी जाए ताकि यह विभाग कार्य निष्पादन की समीक्षा की बैठक की तारीख निर्धारित कर सकें।

4. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले केन्द्रीय लोक उद्यम, यदि कोई हों, के उन विशिष्ट मामलों का उल्लेख करें जिनमें उनकी राय में उस उद्यम की हैसियत बढ़ाकर उसे नवरत्न हैसियत प्रदान करने की आवश्यकता है। निर्धारित प्रोफार्मा में विशेष ब्यौरे के साथ ऐसे प्रस्ताव, विचार के लिए 31.3.2002 तक प्रस्तुत किए जाएं।

****

अनुबंध-I

नवरत्न/मिनी रत्न सार्वजनिक लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा का प्रारूप

क.1 **लोक उद्यम का नाम और प्रशासनिक मंत्रालय**

ख. **लोक उद्यम द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना**

2. **लोक उद्यम का मिशन/उद्देश्य**

3. **निर्धारित उद्देश्य/भावी नीति विवरण में यथा उल्लिखित लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनाई गई नीतियां तथा कारबार संबंधी योजना**

4. **पिछले 3 वर्षों की समझौता ज्ञापन रेटिंग**

5. **नवरत्न/मिनी रत्न हैसियत प्रदान करने के बाद बोर्ड को कब पुनर्गठित किया गया?**

6. **बोर्ड के पुनर्गठन के बाद इसका मौजूदा संघटन**

7. **आयोजित की गई बोर्ड बैठकों की संख्या (पिछले तीन वर्षो का वर्षवार ब्यौरा)**

8. **लोक उद्यमों द्वारा प्राप्त की गई प्रचालन संबंधी स्वायत्तता की सीमा से संबंधित ब्यौरा दें। (पिछले तीन वर्षो के लिए)**

	प्रदान की गई प्रचालन संबंधी स्वायत्तता	**लोक उद्यमों द्वारा प्राप्त की गई**
1	**बोर्ड द्वारा कार्य निष्पादन की मॉनीटरन**	
(क)	लोक उद्यम में यथा स्थापित आंतरिक मॉनीटरन की पारदर्शी और प्रभावकारी प्रणाली	
(ख)	लेखा परीक्षा समिति का गठन। विचारणीय विषयों, कार्यक्षेत्र, अब तक आयोजित बैठकों की संख्या और महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख करें।	
(ग)	लोक उद्यमों में प्रभावकारी मॉनीटरन के लिए अपनाए गए अन्य उपाय, यदि कोई हों।	
2	**प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उठाए गए कदम :**	
(क)	अनुसंधान और विकास स्तर	
	संयुक्त उद्यम अथवा अन्य माध्यम से नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना	
3	**उत्पादों/उत्पाद मिश्रण की विविधता के लिए उठाए गए**	
9.	निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों को दी गई शक्तियों के प्रत्यायोजन का ब्यौरा दें–	
1	नए प्रोजेक्टों, आधुनिकीकरण उपस्करों की खरीद आदि पर पूंजीगत व्यय करना	
	– नए प्रोजेक्टों, आधुनिकीकरण, कुल बिक्री में नए उत्पादों के योगदान पर वर्षवार निवेश	
2.	प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या नीतिगत गठबंधन करना	
(क)	गठित संयुक्त उद्यमों की संख्या	
(ख)	किए गए नीतिगत गठबंधनों की संख्या	
(ग)	संयुक्त उद्यम/नीतिगत गठबंधनों में लोक उद्यम का हिस्सा	
(घ)	संयुक्त उद्यम/नीतिगत गठबंधनों से प्रत्याशित लाभ	
3.	निम्नलिखित के संबंध में उठाए गए कदमः–	
(क)	लागत और लाभ केन्द्रों की स्थापना सहित संगठनात्मक पुनर्गठन	
(ख)	भारत और विदेश में खोले गए नए कार्यालय	
(ग)	स्थापित किए गए नए क्रियाकलाप केन्द्र, यदि कोई हों	
4.	गैर–बोर्ड स्तरीय निदेशकों, कार्यात्मक निदेशकों सहित और उनके स्तर तक पदों का सृजन और पदों की समाप्ति।	

	उनके स्तर तक सृजित और समाप्त किए गए पदों का कृपया उल्लेख करें।	
5.	कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण, स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृति स्कीम आदि से संबंधित स्कीम तैयारा करना और उन्हें क्रियान्वित करना।	
6.	लागू किया गया मजदूरी समझौता	
7.	घरेलू पूंजी बाजार से जुटाए गए ऋण (वर्षवार राशि)	
8-	अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार जुटाए गए ई सी बी आदि (वर्ष वार राशि)	
9.	भारत या विदेश में स्थापित संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ। प्रत्याशित लाभ और उद्देश्य	

10. वित्तीय आंकड़े/संकेतकः (करोड़ रू. में)

क्र.सं.	**विवरण**					
		1996–97 (आधार वर्ष)	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
1.	कुल कारोबार					
2.	प्रचालन संबंधी व्यय					
3.	पी बी आई टी					
3.क.	पी बी डी आई टी					
4.	निवल लाभ (एनपी)					
5.	नियोजित पूँजी (सीई)					
6.	निवल मूल्य (एनडब्ल्यू)					
7.	आंतरिक संसाधनों का सृजन					
8.	विदेशी मुद्रा अर्जन (एफईई)					
9.	निधि जुटाना					
क. ख.	घरेलू–स्रोत अंतर्राष्ट्रीय–स्रोत					
10.	अनुपात					
क.	पी बी डी आई टी में से सी ई					
क.1	पी बी आई टी में से कुल कारोबार					
ख.	निवल लाभ में से निवल मूल्य					
ग.	कुल कारोबार में से सी ई					

घ.	विदेशी मुद्रा अर्जन में से कुल कारोबार					
ड.	ऋण में से इक्विटी					
च.	संयुक्त उद्यम में निवेश में से निवल मूल्य					

11.(क) नए प्रोजेक्ट का ब्यौरा और बोर्ड के पुनर्गठन के बाद इसके द्वारा लिए गये निवेश निर्णय।

11 (ख) क्रियान्वित किए जा रहे बड़े प्रोजेक्टों की संख्या तथा यदि उसमें अधिक धनराशि/समय लगा है तो उसका ब्यौरा।

12. पिछले तीन वर्षो के दौरान (वर्ष वार) कुल क्षमता के प्रतिशत के रूप में क्षमता का प्रयोग। सेवा क्षेत्र के लोक उद्यमों के मामले में, होटल क्षेत्र के संबंध में संकेतक को अधिभोग दर के रूप में, वित्तीय क्षेत्र के मामले में ऋण की संवितरण/वसूली दर और पावर क्षेत्र के मामले में लाइनों की उपलब्धता के रूप में उपयुक्त तरीके से संशोधित किया जाए।

13. पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) कुल बिक्री के अनुपात के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जन; अथवा

उन लोक उद्यमों के मामले में जिनके विदेशी मुद्रा अर्जन की संभावना नहीं है वहां 3 वर्ष के दौरान निम्नलिखित सूचना देते हुये'' सामाजिक भार'' दिखाने वाला संकेतक (वर्षवार):–

(i) आर्थिक के बजाय सामाजिक क्षेत्र के प्रोजेक्ट/दी गई सेवाएं।

(ii) कुल भर्ती के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य विशेष श्रेणियों में भर्ती।

(iii) आसपास के गांवों/अंगीकृत गांवों के विकास पर कुल व्यय और राष्ट्रीय आपदाओं/विपत्तियों/अन्य सामाजिक सेवा क्रियाकलापों पर किया गया कुल व्यय।

ग. **लोक उद्यम द्वारा यथास्वीकृत गुणात्मक कारक पर प्रतिक्रिया।**

1. क्या आप समझते हैं कि बोर्ड पेशेवर तरीके से विचार करता है, यदि नहीं तो बोर्ड के समक्ष किन विषयों को रखे जाने की आवश्यकता है?

2. कृपया बताएं

क. सरकार ने किस सीमा तक वित्तीय स्वायत्तता दी है ?

बहुत अधिक ☐ अधिक ☐ सामान्य ☐ कम ☐ बहुत कम ☐

ख. सरकार ने किस सीमा तक प्रचालनात्मक स्वायत्तता दी है ?

बहुत अधिक ☐ अधिक ☐ सामान्य ☐ कम ☐ बहुत कम ☐

3. बोर्ड अपने निर्णय के लिए किस हद तक उत्तरदायी है। उत्तरदायित्व (जवाबदेही) और बढ़ी हुई स्वायत्ता में किस हद तक समरूपता है।

4. वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, को सूचीबद्ध करें।

5. लोक उद्यमों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे।

6. क्या आप सोचते हैं कि स्वायत्तता और शक्तियों के प्रत्यायोजन के मौजूदा स्तर को जारी रखा जाना चाहिये, यदि हां तो कृपया नवरत्न हैसियत को बनाए रखने का औचित्य दीजिए और उन लाभों का विवरण दीजिए जो इस हैसियत के कारण प्राप्त हुय थे।

7. क्या आपके विचार से शक्तियों और स्वायत्ता का और अधिक प्रत्यायोजन आवश्यक है ? यदि हां तो किन विषयों में यह किया जाना चाहिये, उनका उल्लेख करें और औचित्य दें।

घ. **लोक उद्यमों के लिए संयुक्त स्कोर (अनुबंध–II के अनुसार)**

टिप्पणीः यहां प्रयोग किए गये शब्द का वही अर्थ होगा जो लोक उद्यम सर्वेक्षण में है।

***

अनुबंध–II

नवरत्न हैसियत प्रदान करने के लिए प्रारूप

पात्रता

ऐसे लोक उद्यम जो अनुसूची 'क' के मिनीरत्न I हैं और जिन्हे पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षो में समझौता ज्ञापन रेटिंग में 'उत्कृष्ट' या बहुत अच्छा'' मिला हो, इसके पात्र हैं।

कार्य निष्पादन का संयुक्त स्कोर 60 या अधिक होगा

लोक उद्यम के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए पिछले तीन वर्षो के इसके कार्य निष्पादन पर आधारित संयुक्त स्कोर की गणना की जाएगी। संयुक्त स्कोर के परिकलन के लिए लोक उद्यमों पर सामान्य अनुप्रयोज्यता के आधार पर 6 निष्पादन सूचकों की पहचान की गई है। निष्पादन सूचकों का चुनाव इस प्रकार किया कि जिनसे लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन की जानकारी मिल सके चाहे वे लोक उद्यम विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित हों या सेवा क्षेत्र से। नीचे 6 कार्य निष्पादन सूचक दिए गए हैं:

		अधिकतम भार
		100
1.	निवल लाभ और निवल मूल्य का अनुपात	25
2.	कुल उत्पादन लागत या सेवा लागत में से श्रम शक्ति लागत	15
3.	लगाई गई पूंजी में से पी बी डी आई टी	15
4.	कुल कारोबार में से पी बी आई टी	15
5.	प्रति शेयर के हिसाब से अर्जित राशि	10
6.	अंतः क्षेत्र निष्पादन	20

उपर्युक्त सूचकों के अनुसार लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन के मूल्याकंन के लिए और एकरूप आधार पर स्कोर प्रदान करने के लिए इन 6 निष्पादन सूचकों में से प्रत्येक के लिए 'मूल्यांकन स्केल' तैयार किया गया है। इन सूचकों के संबंध में प्रत्येक सूचक के लिए श्रेणियां तैयार की गई हैं ताकि अधिकतम स्कोर के बीच में स्कोर दिया जा सके। ऋणात्मक स्कोर देने का प्रावधान भी रखा गया है। लोक उद्यम के कार्य निष्पादन आंकड़ों, विशेष तौर पर पिछले 3 वर्ष के आंकड़ों पर विचार करने के बाद प्रत्येक निष्पादन सूचक के लिए श्रेणी तैयार की गई है।

अंतः क्षेत्र निष्पादन के लिए यह विचार किया गया है कि क्षेत्र (सेक्टर) के अन्दर निष्पादन का मूल्यांकन निवल लाभ में निवल मूल्य के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा। क्षेत्र के अन्दर लोक उद्यम को रैंक देने का प्रयास किया जायगा और लोक उद्यम के रैंक के आधार पर स्कोर की गणना की जा सकती है। पांच शीर्ष रैंक वाले लोक उद्यमों को क्रमशः 20, 16, 12, 8 और 4 स्कोर दिया जा सकता है। जीरो स्कोर उस लोक उद्यम को दिया जा सकता है जिसका रैंक इससे कम हो बशर्ते कि निवल लाभ और निवल मूल्य का अनुपात धनात्मक हो। तथापि, ऋणात्मक अनुपात वाले लोक उद्यमों को '–4' का ऋणात्मक स्कोर दिया जाएगा। तय किया गया मूल्यांकन स्केल संलग्न मूल्यांकन पत्रक में दिया गया है (अनुबंध–III)

उपर्युक्त सूचक और मूल्यांकन स्केल के अनुसार किसी लोक उद्यम के लिए संयुक्त स्कोर की गणना के लिए कार्य निष्पादन सूचक पर विचार किया जाएगा जो कि पिछले तीन वर्षों के लिए लोक उद्यम के आंकड़ों का सामान्य औसत होता है और मूल्यांकन स्केल के अनुसार स्कोर दिया जाएगा। प्रत्येक निष्पादन सूचक के स्कोर का जोड़ उद्यम का संयुक्त स्कोर बनेगा।

उन मामलों में जहां संयुक्त स्कोर 60 या उससे अधिक हो जाता है, उन्हे शीर्ष समिति के विचार और सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। लोक उद्यम विशेष तौर पर नवरत्न लोक उद्यम द्वारा प्राप्त वास्तविक संयुक्त स्कोर पर विचार करने के बाद 60 की न्यूनतम सीमा रखी गई है। 60 की सीमा को वास्तविक स्तर माना गया है।

****

अनुबंध–III

मूल्यांकन पत्रक
स्कोर

		स्कोर									
क्र.सं.	क	25*	20	15	10	5	-5	-10	-15	-20	-25
I	निवल संपत्ति में निवल लाभ का प्रतिशत (%)	>=20	>=15 और <20	>=10 और <15	>=5 और <10	>=0 और <5	>=-10 और <0	>=-15 और <-5	>=-20 और <-15	>=20 और <-15	>=-20
क्र.सं.	ख	15	12	9	6	3	-3	-6	-9	12	-15
II	कुल उत्पादन लागत में कुल श्रम शक्ति का प्रतिशत (%)**	<=5	>5 और <=8	>8 और <=11	>11 और <=14	>14 और <=17	>17 और <=20	>20 और <=23	>23 और <=25	>25 और <=28	>28
III	लगाई गई पूंजी में पी बी डी आई टी का	>=20	>=15 और <20	>=10 और <15	>5 और <10	>=0 और <5	>=-5 और <0	>=10 और <-5	>=-15 और <-10	>=-20 और <-15	>=-20

	प्रतिशत (%)										
Iv	कुल बिक्री में पी बी आई टी का प्रतिशत (%)	>=25	>=20 और <25	>=10 और <20	>=5 और <10	>=0 और <5	>=-5 और <0	>=-10 और <-5	>=-20 और <-10	>=25 और <-20	>-25
क्र.सं.	ग	10	8	6	4	2	0	-2			
VI	प्रति शेयर अर्जित राशि (रू.)	>=30	>=20 और <30	>=10 और <20	>=5 और <10	>=0 और <5	>=-5 और <0	>=-10 और <-5			
क्र.सं.	घ	20	15	12	8	4	0	-4			
II	अंत क्षेत्र निष्पादन रैंक निवल संपत्ति में निवल लाभ 1999–00 के आंकड़े पर आधारित	I	II	III	IV	V	VI और इससे अधिक हो लेकिन मूल्य धनात्मक हो	यदि मूल्य ऋणात्मक हो			

>= से अधिक या बराबर, > से अधिक, < से कम, <= से कम या बराबर

* यदि नियामक प्राधिकरण ऊपरी सीमा तय करता है तो सीमा समायोजित की जाएगी (और उसके स्थान पर नई सीमा दी जाएगी)

** सेवा संगठन के मामले में सेवाओं की लागत

(लो.उ.वि. का.ज्ञा.सं. लो.उ.वि./ 3(2)/2001–वित्त, तारीख 15 मार्च, 2002)